7 जनवरी, 2022 कार्यकारी आदेश 2022-01

**कार्यकारी आदेश 2022-01**
**(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 97)**

**जबकि**, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 2,380,000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 28,300 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि**, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व रहा है; और,

**जबकि**, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

**जबकि**, कोरोनावायरस का डेल्टा संस्करण, पहले के परिसंचारी उपभेदों की तुलना में अधिक आक्रामक और अधिक संक्रामक है, और वायरस के प्रसार को रोकने और धीमा करने के लिए चल रहे प्रयास में नए जोखिम पैदा करता है; और,

**जबकि**, डेल्टा संस्करण वायरस के पिछले उपभेदों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है; और,

**जबकि,** ऑमिक्रॉन संस्करण पहले की संस्करणों से अधिक संक्रामक है और जिसके कारण COVID-19 के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय तेजी आई है, और,

**जबकि,** ऑमिक्रॉन संस्करण के तेजी से फैलने के कारण COVID-19 महामारी के दौरान पहले के किसी भी स्थिति की तुलना में पूरे राज्य में अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं; और,

**जबकि,** सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

**जबकि**, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो, जिनका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है और जो एक ही घर में नहीं रहते हैं, यह COVID-19 के प्रसार को धीमा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है; और,

**जबकि**, CDC यह सलाह देना जारी रखे हुए है कि कपड़े के फेस कवरिंग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनका COVID-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

**जबकि**, CDC की सलाह के अनुसार, स्कूलों को K-12 स्कूलों में COVID-19 की रोकथाम के लिए CDC के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए और भवनों के अंदर मास्क पहनने सहित, अपने क्षेत्र में आवश्यक रोकथाम का पता लगाने के लिए स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करना चाहिए; और,

**जबकि**, CDC ने यह सलाह देना जारी रखा है कि डे केयर प्रदाताओं को चाहिए कि उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित, COVID-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखना चाहिए; और,

**जबकि**, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

**जबकि,** 28,300 से अधिक इलिनॉय वासियों के दुखद नुकसान के कारण और दस हज़ार से अधिक लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के अलावा, COVID-19 ने राष्ट्र और राज्य भर में व्यापक आर्थिक नुकसान किया है और एक महत्वपूर्ण संख्या में व्यक्तियों और व्यवसायों के वित्तीय कल्याण के लिए खतरा बना हुआ है; और,

**जबकि**, राज्य में कई कार्यकारी एजेंसियां अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित करना जारी रखे हुए हैं; तथा,

**जबकि**, कोविड-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय कृषि विभाग (Illinois Department of Agriculture, (IDOA)) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और,

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए मृत पशु निपटान अधिनियम (Dead Animal Disposal Act) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है, जो COVID-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें पीड़कनाशी (पेस्टिसाइड) लगाने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण संचालित करने की नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और

**जबकि**, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर COVID-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए व्यवसाय व्यवधान अनुदान कार्यक्रम (Business Interruption Grant Program) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, 7 जनवरी, 2022 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

**जबकि**, ऊपर वर्णित महामारी आपातकाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के जवाब में, मैं कार्यकारी आदेश 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 2021-03, 2021-12, 2021-18,

2021-22, 2021-24, 2021-25, 2021-28 और 2021-31, को फिर से जारी करना आवश्यक पाता हूं, और उन कार्यकारी आदेशों के खंडों को एतद्द्वारा समाविष्ट करता हूं;

**इसलिए,** इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं 7 जनवरी, 2022 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

**भाग 1: कार्यकारी आदेशों का पुनः जारी करना।**

कार्यकारी आदेश 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 2021-03, 2021-12, 2021-18, 2021-22, 2021-24, 2021-25, 2021-28 और 2021-31 को निम्नवत एतद्द्वारा पुनः जारी किया जाता है:

**कार्यकारी आदेश 2020-04 (राज्य कर्मचारियों के लिए रोग अवकाश आवश्यकता की समाप्ति):**

कार्यकारी आदेश 2020-04 का अनुभाग 3 पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):**

कार्यकारी आदेश 2020-09 का अनुभाग 9 और 10, जो कि कार्यकारी आदेश 2021-15 द्वारा संशोधित हैं, को पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय सुधार विभाग (Illinois Department of Corrections) की अधिसूचना अवधि):**

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय किशोर न्याय विभाग (Illinois Department of Juvenile Justice) की अधिसूचना अवधि:**

कार्यकारी आदेश 2020-12 के अनुभागों 1 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (Illinois School Code) के उपबंधों का स्थगन):**

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (llinois Department of Corrections) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश):**

कार्यकारी आदेश 2020-21 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग (Illinois Department of Financial and Professional Regulation) द्वारा की गई कार्रवाइयां):**

कार्यकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्युमन सर्वसिज़ फोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम):**

कार्यकारी आदेश 2020-24 के अनुभागों 1 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-27 (COVID-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):**

कार्यकारी आदेश 2020-27 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-30 (कालातीत (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग (Illinois Human Rights Commission) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):**

कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5, और 6 को पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह अनुज्ञाएं (लाइसेंस़)):**

कार्यकारी आदेश 2020-36 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):**

कार्यकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2 और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-45 (भांग (केनाबिस) के लाइसेंस):**

कार्यकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और कार्यकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट किया गए के अनुसार प्रभावी रहेगा।

**कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):**

कार्यकारी आदेश 2020-50 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-68 (भांग (केनाबिस) रजिस्ट्री पहचान पत्र का नवीनीकरण):**

कार्यकारी आदेश 2021-05 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-68 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-03 (क्षेत्रीय शमन मेट्रिक्स):**

कार्यकारी आदेश 2021-03 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-12 (चरण 5 दोबारा खोलना):**

कार्यकारी आदेश 2021-15 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-12 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-18 (शमन के उपाय):**

कार्यकारी आदेश 2021-19 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-18 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-22 (टीकाकरण और परीक्षण आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2021-23 और कार्यकारी आदेश 2021-27 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-22 को इसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और **5 जनवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-22 को निम्नवत संशोधित और पुनरावृत्त किया जाता है:

**अनुभाग 4: उच्च शिक्षा के लिए टीकाकरण एवं परीक्षण आवश्यकताएं।**

b. सभी उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों को, न्यूनतम तौर पर, 19 सितंबर, 2021 तक दो खुराक वाली COVID-19 वैक्सीन श्रृंखला या एकल खुराक वाली COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी होनी चाहिए, और दो-खुराक वाली टीकाकरण श्रृंखला में उन्हें पहली खुराक लगाए जाने के 30 दिनों के अंदर उनका COVID-19 के विरुद्ध टीकाकरण पूर्ण हो जाना चाहिए। जिस भी उच्चतर शिक्षा कार्मिक या उच्चतर शिक्षा विद्यार्थी ने यह सिद्ध न किया हो कि COVID-19 के विरुद्ध उसका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, उसका उप-अनुभाग (~~d~~e) की आवश्यकताओं के अनुरूप परीक्षण किया जाना चाहिए। यह सिद्ध करने के लिए कि उनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों को COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण उच्चतर शिक्षा संस्थान को प्रदान करना होगा। इनमें से किसी भी दस्तावेज़ को COVID-19 टीकाकरण के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: (1) CDC COVID-19 टीकाकरण रिकॉर्ड कार्ड या कार्ड का फोटोग्राफ; (2) किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की ओर से टीकाकरण का दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड; या (3) राज्य के प्रतिरक्षीकरण (इम्युनाइज़ेशन) रिकॉर्ड।

c. उच्चतर शिक्षा संस्थान ऐसे उच्चतर शिक्षा कार्मिकों ~~और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों~~ जिनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है, को तब तक परिसर से वर्जित रखेंगे जब तक वे उप-अनुभाग (~~d~~e) में निर्दिष्ट परीक्षण आवश्यकताओं का अनुपालन न करें।

d. उच्चतर शिक्षा संस्थान ऐसे उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों, जिनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है, को तब तक परिसर से वर्जित रखेंगे जब तक वे उप-अनुभाग (d) में निर्दिष्ट परीक्षण आवश्यकताओं का अनुपालन न करें। उच्चतर शिक्षा संस्थान उच्चतर शिक्षा संस्थान की नीतियों और प्रणालियों के माध्यम से इस उप-अनुभाग में आवश्यकताओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

e. 19 सितंबर, 2021 से शुरू करते हुए, किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने या वहां अथवा उसके लिए कार्य करने के लिए, जिन उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार COVID-19 परीक्षण से तब तक गुजरना होगा जब तक वे यह सिद्ध न कर दें कि उनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण हो गया है:

    i. जिन उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें सप्ताह में कम-से-कम एक बार COVID-19 का परीक्षण करवाना होगा। परीक्षण किसी ऐसे परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास या तो FDA की ओर से आपातकालीन उपयोग का प्राधिकरण हो, या फिर जो अमरीकी मेडिकेयर (Medicare) एवं मेडिकएड

(Medicaid) सेवाएं केंद्रों द्वारा जारी प्रयोगशाला विकसित परीक्षण आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जाता हो।

ii. जिन उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उनके लिए उक्त परीक्षण उच्चतर शिक्षा संस्थान के अंदर ही संचालित होना चाहिए या फिर उच्चतर शिक्षा संस्थान को उस उच्चतर शिक्षा कार्मिक या उच्चतर शिक्षा विद्यार्थी जिसका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है, से कहीं और से प्राप्त निगेटिव परीक्षण परिणाम का प्रमाण या की पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए।

iii. IDPH अनुशंसा करता है कि उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों का परीक्षण, यदि उपलब्ध हो तो PCR परीक्षण द्वारा किया जाए।

f. व्यक्तियों को COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता से छूट रहेगी यदि (1) टीकाकरण चिकित्सीय दृष्टि से निषिद्ध है, इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो विकलांगअमेरिकी अधिनियम के या किसी अशक्तता-संबंधी उचित समायोजन पर लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी समायोजन के पात्र हैं, या (2) टीकाकरण के लिए व्यक्ति को किसी निष्ठापूर्वक धारित धार्मिक विश्वास, प्रथा, या संस्कार/रीति-रिवाज का उल्लंघन करना पड़े या त्यागना पड़े। जो व्यक्ति यह दर्शाते हैं कि उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता से छूट प्राप्त है, वे, न्यूनतम तौर पर, उप-अनुभाग (~~d~~e) में प्रावधानित के अनुसार, साप्ताहिक परीक्षण से गुजरेंगे।

g. IDPH, इलिनॉय कम्युनिटी कॉलेज बोर्ड (Illinois Community College Board), और इलिनॉय बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन (Illinois Board of Higher Education) समेत राज्य एजेंसियां, इस कार्यकारी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक आपातकालीन नियमों को लागू कर सकती हैं।

**<u>कार्यकारी आदेश 2021-24 (स्कूल बहिष्करण):</u>**

कार्यकारी आदेश 2021-25 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-24 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>कार्यकारी आदेश 2021-25 (कार्यकारी आदेश 2021-24 में संशोधन):</u>**

कार्यकारी आदेश 2021-25 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>कार्यकारी आदेश 2021-28 (डे केयर टीकाकरण और परीक्षण आवश्यकताएँ):</u>**

कार्यकारी आदेश 2021-30 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-28 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>कार्यकारी आदेश 2021-31 (सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं का निलंबन):</u>**

कार्यकारी आदेश 2021-31 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **5 फरवरी, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

**<u>भाग 2: संचय खंड (सेविंग्स क्लौज़)</u>।** यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

____________________

**जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),**
**राज्यपाल (गवर्नर)**

राज्यपाल द्वारा 7 जनवरी, 2022 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 7 जनवरी, 2022 को दायर